

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 1st October, 2012]

हरियाणा सरकार
शहरी स्थानीय निकाय विभाग
अधिसूचना
दिनांक 1 अक्टूबर, 2012

संख्या 18/58/2012-3क1.—हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), की धारा 24 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, प्रधान के रूप में श्री जगसीर सिंह, पुत्र श्री करतार सिंह, पार्षद, वार्ड नं0 12, नगर पालिका, कालावाली, जिला सिरसा का नाम अधिसूचित करते हैं।

राम निवास,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

50391—C.S.—H.G.P., Chd.

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 1st October, 2012]

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT
Notification

The 1st October, 2012

No. 18/58/2012-3C1.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and (2) of Section 24 of the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973), and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby notifies the name of member Sh. Jagsir Singh S/o Sh. Kartar Singh, Ward No. 12, as President of the Municipal Committee, Kalanwali in District Sirsa.

RAM NIWAS,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

50391—C.S.—H.G.P., Chd.